कार्यालय
जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–नारायणपुर(छ0ग0)

क्रमांक / 14 /मबावि/सावि./2017–18 नारायणपुर दिनांक 5/04/2018

प्रति,

1. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.)
   जिला – नारायणपुर
2. जनसर्म्पक अधिकारी
   जिला – नारायणपुर

विषयः– कामकाजी महिलाओं के आवास गृह/छात्रावास निर्माण करने हेतु स्वंयसेवी संगठन/संस्था एजेंसीयों से आवेदन आमंत्रित करने विषयक।

सन्दर्भः– संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर का पत्र क्रमांक / 4502/ 67/सावि /मबावि / 2017–18 नया रायपुर दिनॉक 31.08.2017 ।

उपरोक्त सन्द्रर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कामकाजी महिलाओं को आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया है, तत्सम्बन्ध में कामकाजी महिला आवास गृह (छात्रावास) हेतु राज्यों एवं क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से संचालित किया जाना है इस हेतु छ.ग. राज्य अंतर्गत स्वयं सेवी संगठन/संस्था एजेन्सियों से दिनॉक 15/04/18......... तक समय शाम 5:00........ . बजे तक आवेदन मंगाया जाना है उक्त आवेदन कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में प्रस्तुत कर सकते है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में सूचना पटल एवं नारायणपुर जिले के वेबसाईट narayanpur.gov.in /cgstste.gov.in पर देखी जा सकती है।

अतः उक्त संबंध में समाचार पत्रों मे प्रसारित करने के कष्ट करेंगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला – नारायणपुर

पृ.क्रमांक/14 Ⓐ/मबावि/निर्माण/2017–18 नारायणपुर दिनांक /01/2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक़्त, महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला – नारायणपुर

कार्यालय
जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–नारायणपुर(छ0ग0)

क्रमांक / 17 /मबावि / सावि. / 2017–18 नारायणपुर दिनांक 5 / 04 / 2018

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा 1972–73 से शहरों, कस्बो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया है।

कामकाजी महिला हॉस्टल योजना का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्वताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

तत्सम्बन्ध में के The Working Women Hosteg Scheme पुनरीक्षित दिशा निर्देश के तहत् यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राज्यों एवं क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किया जाना है जिसमें केद्रांश ,राज्यांश एवं क्रियान्वयन एजेंसी का अनुदान अनुपात 60:12:25 का होगा इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन / संस्थाओं एजेन्सियों से दिनॉक 15/04/18......तक समय शाम 5:00..... बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए कार्यालयीन सूचना पटल एवं नारायणपुर जिले के वेबसाइट narayanpur.gov.in /cgstste.gov.in पर देखी जा सकती है।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला – नारायणपुर